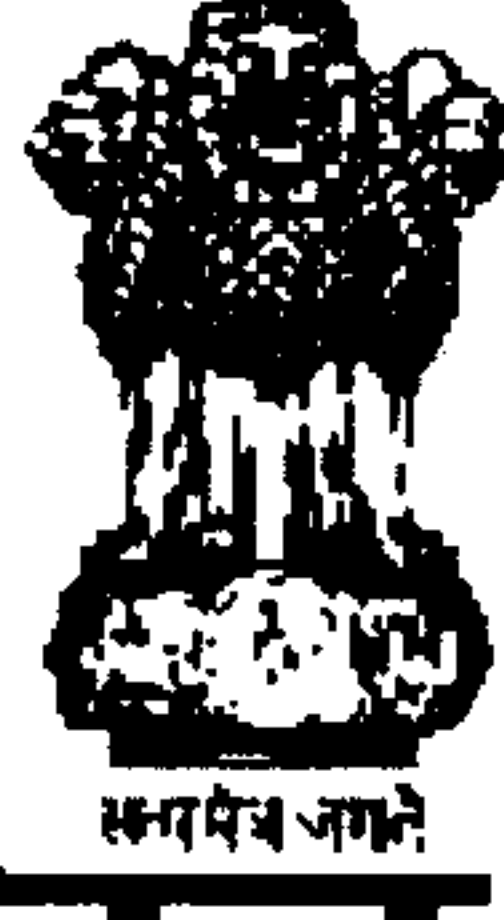




भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 16]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 16, 2014/पौष 26, 1935

No. 16]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 16, 2014/PAUSHA 26, 1935

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2014

सा.का.नि. 21(अ).- प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियमावली, 1957 को और आगे संशोधित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का नाम प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (संशोधन) नियम, 2014 होगा।

(2) ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियमावली, 1957 में, नियम 8 में, -

(क) उप-नियम (1) में, खंड (च) में, दूसरे परंतुक में, शब्द, कोष्ठक और अक्षर "(क) से (ट) मद" के लिए, शब्द, कोष्ठक और अक्षर "(क) से (ढ) मद" प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उप-नियम (3) में, खंड (च) में, उप-खंड (iii) में, शब्द, कोष्ठक और अक्षर "(क) से (ट) मद" के लिए, शब्द, कोष्ठक और अक्षर "(क) से (ढ)-मद", प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ग) उप-नियम (4) में, खंड (iii) में, परंतुक में, -

(i) मद (ग) के लिए, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"(ग) बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) के अधीन बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण प्रदत्त कोई बीमा कंपनी";

(ii) मद (घ) विलोपित किया जाएगा;

(iii) मद (ट) के पश्चात्, निम्नलिखित मदें अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् -

"(ठ) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के अधीन स्थापित केंद्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि;

(ड) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) के अधीन पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत या नियुक्त अथवा विनियमित कोई पेंशन निधि; और

(ढ) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) के अधीन गठित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत कोई स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर।"

[फा.सं.1/17/एसएम/2012-भाग]

मनोज जोशी, संयुक्त सचिव (वित्तीय बाजार)

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 के तहत दिनांक 21 फरवरी, 1957 की सा.का.नि. सं.576 के जरिए प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् निम्नलिखित संख्याओं के तहत संशोधित की गई :-

- (i) सा.का.नि. 1096, दिनांक 14 जुलाई, 1967;
- (ii) सा.का.नि. 685, दिनांक 3 जून, 1972;
- (iii) सा.का.नि. 959, दिनांक 8 अगस्त, 1972;
- (iv) सा.का.नि. 2641, दिनांक 1 नवम्बर, 1975;
- (v) सा.का.नि. 1083, दिनांक 11 नवम्बर, 1985;
- (vi) सा.का.नि. 1070 (अ), दिनांक 15 नवम्बर, 1988;
- (vii) सा.का.नि. 666 (अ), दिनांक 20 जुलाई, 1987;
- (viii) सा.का.नि. 870 (अ), दिनांक 13 नवम्बर, 1992;
- (ix) सा.का.नि. 617 (अ), दिनांक 20 सितम्बर, 1993;
- (x) सा.का.नि. 749 (अ), दिनांक 12 अक्तूबर, 1994;
- (xi) सा.का.नि. 790 (अ), दिनांक 7 नवम्बर, 1994;
- (xii) सा.का.नि. 121 (अ), दिनांक 9 मार्च, 1995;
- (xiii) सा.का.नि. 291 (अ), दिनांक 27 मार्च, 1995;
- (xiv) सा.का.नि. 581 (अ), दिनांक 23 दिसम्बर, 1996;
- (xv) सा.का.नि. 654 (अ), दिनांक 8 अगस्त, 2000;
- (xvi) सा.का.नि. 415 (अ), दिनांक 7 जून, 2001;
- (xvii) सा.का.नि. 696 (अ), दिनांक 28 अगस्त, 2003;
- (xviii) सा.का.नि. 395 (अ), दिनांक 10 जून, 2009;
- (xix) सा.का.नि. 469 (अ), दिनांक 4 जून, 2010;
- (xx) सा.का.नि. 662 (अ), दिनांक 9 अगस्त, 2010; और
- (xxi) सा.का.नि. 705 (अ), दिनांक 24 अक्तूबर, 2013

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2014

G.S.R. 21(E).—In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, namely:—

1. (1) These rules may be called the Securities Contracts (Regulation) (Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, in rule 8,—

(a) in sub-rule (1) in clause (f), in the second proviso, for the words, brackets and letters, “item (a) to (k)”, words, brackets and letters, “items (a) to (n)” shall be substituted;

(b) in sub-rule (3), in clause (f), in sub-clause (iii), for the words brackets and letters, “items (a) to (k)”, words, brackets and letters, “items (a) to (n)” shall be substituted;

(c) in sub-rule (4), in clause (iii), in the proviso, -

(i) for item (c), the following item shall be substituted, namely:—

“(c) any insurance company granted registration by the Insurance Regulatory Development Authority under the Insurance Act, 1938 (4 of 1938)”;

(ii) item (d) shall be omitted;

(iii) after item (k), the following items shall be inserted, namely-

“(l) Central Board of Trustees, Employees' Provident Fund, established under the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952);

(m) any pension fund registered or appointed or regulated by the Pension Fund Regulatory and Development Authority under the Pension Fund Regulatory And Development Authority Act, 2013 (23 of 2013); and

(n) any Standalone Primary Dealers authorised by the Reserve Bank of India constituted under the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934).”

[F.No. 1/17/SM/2012-part]

MANOJ JOSHI, Jt. Secy. (Financial Markets)

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, vide number S.R.O. 576, dated the 21st February, 1957 and subsequently amended vide the following numbers:—

- (i) G.S.R. 1096, dated the 14th July, 1967;
- (ii) G.S.R. 685, dated the 3rd June, 1972;
- (iii) G.S.R. 959, dated the 8th August, 1972;
- (iv) G.S.R. 2641, dated the 1st November, 1975;

- (v) G.S.R. 1083, dated the 11th November, 1985;
- (vi) G.S.R. 1070 (E), dated the 15th November, 1988;
- (vii) G.S.R. 666 (E), dated the 20th July, 1987;
- (viii) G.S.R. 870 (E), dated the 13th November, 1992;
- (ix) G.S.R. 617 (E), dated the 20th September, 1993;
- (x) G.S.R. 749 (E), dated the 12th October, 1994;
- (xi) G.S.R. 790 (E), dated the 7th November, 1994;
- (xii) G.S.R. 121 (E), dated the 9th March, 1995;
- (xiii) G.S.R. 291 (E), dated the 27th March, 1995;
- (xiv) G.S.R. 581 (E), dated the 23rd December, 1996;
- (xv) G.S.R. 654 (E), dated the 8th August, 2000;
- (xvi) G.S.R. 415 (E), dated the 7th June, 2001;
- (xvii) G.S.R. 696 (E), dated the 28th August, 2003;
- (xviii) G.S.R. 395 (E), dated the 10th June, 2009;
- (xix) G.S.R. 469 (E), dated the 4th June, 2010;
- (xx) G.S.R. 662 (E), dated the 9th August, 2010; and
- (xxi) G.S.R. 705 (E), dated the 24th October, 2013.